SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, a large amount of funds are allocated and the total amount spent on various programmes for children comes to about Rs. 30,000 crores. The hon. Minister may correct me if I am wrong. But, the implementation of various programmes is to be done by the States and Panchayati Raj institutions. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to have a vigilance and monitoring Committee under the Chairmanship of the Member of Parliament so that the delivery system is properly executed and benefit reaches the people who are in need of it.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, the hon. Member's suggestion is certainly one of the good suggestions. This will involve our hon. Members of Parliament and would certainly bring about more awareness and action.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, my supplementary is in continuation of what Dr. Karan Singh has said. Sir, he said that AIDS is transmitted to newborn babies through their mothers and some special care should be taken in this direction.

Sir, in Tamil Nadu, we have a special scheme called Tribal Child Scheme. The State Government is also providing compulsory education free of cost. We are providing free education for girls and also for school dropouts. In addition to this, the State Government is providing free higher education for SC/ST and also providing free bicycles, etc. So, I would like to know from the hon. Minister whether he would provide special funds to the State of Tamil in this regard.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I was in Tamil Nadu only a couple of days ago. And, I must accept that many of the schemes for education and childcare that are being implemented there are being implemented in a very effective manner. But, on this specific suggestion, I would say that we would certainly discuss it with the Government of Tamil Nadu. If it wants us to do anything, we will try to do.

जन शिक्षण संस्थानों को स्वीकृति प्रदान किया जाना

*266. **श्री हरीश रावत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक सभा चुनाव, 2004 के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ जन शिक्षण संस्थानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे ब्यौरा क्या है तथा ऐसे जन शिक्षण संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कोई जिम्मेदारी तय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) यद्यपि लोकसभा चुनाव, 2004 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसी भी संस्थान को संस्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, परन्तु 29 फरवरी, 2004 से 13 मई, 2004 की अवधि के दौरान वर्तमान कार्यकलापों के एक भाग के रूप में तथा अलग-अलग सहायतानुदान समितियों में विधिवत् विचार करने के पश्चात् विभिन्न ब्यूरो में विविध स्कीमों के तहत प्रथम बार अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों सहित अन्य संगठनों को कुछ संस्वीकृतियां जारी की गई थीं।

जारी की गई इन सभी संस्वीकृतियों की गहन जांच की जा रही है कि यदि इनमें से कोई भी संस्वीकृति उक्त आचार संहिता का उल्लंघन करके प्रदान की गई है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सके।

Sanctions to Public Educational Institutions

†*266. SHRI HARISH RAWAT: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that sanctions to some Public Educational Institutions were accorded during Lok Sabha election 2004 even when the code of conduct was in force;

(b) if so, the details thereof indicating names of such institutions;

(c) whether Government are fixing any responsibility for violation of code of conduct; and

(d) if so, the details thereof and by when?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) While no sanctions were accorded by the Ministry of Human Resource Development in violation of the Code of Conduct during the Lok Sabha elections 2004, some sanctions were issued during the period 29th February, 2004 to 13th May, 2004 to organisations including first time grantees, under the various schemes in the different Bureaus, as part of the ongoing activities and after due consideration in the respective Grant-in-Aid Committees.

All such sanctions issued are being closely scrutinised for action, as deemed necessary, in the event that any of these are subsequently found to have been issued in violation of the said Code of Conduct.

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री हरीश रावत: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने जन शिक्षण संस्थान हैं, जिनकी स्वीकृति वर्ष 2004 के प्रारम्भ में, जनवरी से मई तक, तत्कालीन सरकार ने दी थी? क्योंकि मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें एक तरफ तो मंत्री जी ने कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन नहीं हुआ है और दूसरी तरफ कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, जिनकी स्वीकृति फरवरी से लेकर मई के दौरान हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से शिक्षण संस्थान हैं और क्या ये शिक्षण संस्थान किसी संस्था विशेष से, जो विशेष विचारधारा वाली है, उससे संबंधित हैं? कृपया मंत्री जी इसका ब्यौरा सदन को बताने का कष्ट करें।

श्री अर्जुन सिंह: सभापति महोदय, मैंने आज की स्थिति में उत्तर दिया है, लेकिन माननीय सदस्य ने जिनके बारे में संकेत यहां पर किया है, उनको हम स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी मिलेगी, हम उसको सदन के सामने लाने की कोशिश करेंगे।

श्री हरीश रावत: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या उनका मंत्रालय इस प्रश्न पर विचार करेगा कि जितने भी जन शिक्षण संस्थान स्वीकृत किए गए हैं, उनका किन संस्थाओं से ऐफिलिएशन रहा है? मैं केवल एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि टोटल जितने जन शिक्षण संस्थान स्वीकृत किए गए हैं, क्या उनके ऐफिलिएशन को स्क्रूटनाइज़ करने की मंत्री जी कृपा करेंगे? क्योंकि चुनाव के दौरान इस आशय के समाचार छपे थे और हम सबका भी ऐक्सपीरिएंस है कि इन जन शिक्षण संस्थानों को जो पैसा स्वीकृत किया गया था, जो ग्रांट दी गई थी, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया था, तो क्या इस आस्पेक्ट को भी ऐग्जामिन करने का कष्ट करेंगे? क्योंकि उनके मंत्रालय की पिछले दिनों इस बात में ख्याति रही है कि उसने एक विशेष विचारधारा को संरक्षण देने का काम किया है?

श्री अर्जुन सिंह: सभापति महोदय, जन शिक्षण संस्थानों के कार्य क्षेत्र कुछ और हैं और यदि उस कार्य क्षेत्र के विपरीत किसी प्रकार का आचरण किया गया है तो निश्चय ही उस पर विचार भी करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी, वह भी करेंगे।

Autonomous District Councils for Development of Tribals

*267. SHRI MATILAL SARKAR: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Autonomous District Councils in the country for making concerted efforts for development of the tribal people;

(b) the classification of such councils;

(c) whether Government have any plan to extend the formation of such councils in the States with higher concentration of the tribals; and

(d) if not, the reasons therefor?